कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8897/2020 रेखा कस्वां बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2020 में याचिकार्थिया द्वारा प्रार्थी महेन्द्र सिंह के साथ पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उचित आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश अप्रार्थीगण को दिये गए।

याचिकार्थिया रेखा कस्वां द्वारा प्रार्थी महेन्द्र सिंह के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि दोनों कार्मिक एक समान पद वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर क्रमशः अलवर व हनुमानगढ़ जिले में कार्यरत है। याचिकार्थिया व प्रार्थी दोनों पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु पूर्णतया सहमत है तथा याचिकार्थिया के पति कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर हनुमानगढ़ जिले में कार्यरत है। अतः याचिकार्थिया ने पारिवारिक परिस्थितियों एवं दोनों कार्मिकों की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी महेन्द्र सिंह के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अलवर जिले (जयपुर मण्डल) से हनुमानगढ़ जिले (बीकानेर मण्डल) में पारस्परिक स्थानान्तरण करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। याचिकार्थिया द्वारा पति के कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर हनुमानगढ़ जिले में कार्यरत होने के आधार पर अलवर जिले (जयपुर मण्डल) से हनुमानगढ़ जिले (बीकानेर मण्डल) में स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा–2/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 26.07.2019 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 17(11) शिक्षा–2/अन्तरमण्डल स्था./2016 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 20.07.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश प्रभावी है, जिनमें राजकीय सेवा में कार्यरत पति–पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापन एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश अंकित नहीं है।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 03 में अंकित पति–पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात् काउंसलिंग में वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिकों द्वारा इच्छित स्थान पर पारस्परिक स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। कार्मिकों द्वारा प्रार्थना पत्र में पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः कार्मिकों द्वारा पारस्परिक स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12959/2020 दिनांकः– 01·10·2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
2. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर
5. श्री महेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान), रामावि जिगासरी छोटी, तहसील–भादरा, जिला–हनुमानगढ़
6. याचिकार्थी श्रीमती रेखा कस्वां पत्नी श्री अमर सिंह, राउमावि खिदरपुर तिजारा, जिला–अलवर **(रजिस्टर्ड)**
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)